

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 251]

भोपाल, रविवार, दिनांक 13 अगस्त 2023—श्रावण 22, शक 1945

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2023

क्र. F-Rev-6-0006-2023-सात-शा-7.- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से रीवा जिले की 03 तहसीलें मऊगंज, हनुमना एवं नईगढ़ी को समाविष्ट कर नवीन जिला मऊगंज का गठन करती है जिसका मुख्यालय मऊगंज होगा। जिला मऊगंज के गठन उपरांत शेष रीवा जिले में 09 तहसीलें हुजूर, हुजूरनगर, जवा, त्योंथर, रायपुर कर्चुलियान, गुढ, सिरमौर, सेमारिया तथा मनगवां शेष रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2023

क्र. F-Rev-6-0006-2023-सात-शा-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक F-Rev-6-0006-2023-सात-शा-7, दिनांक 13 अगस्त, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

Bhopal, the 13th August 2023

No. F- Rev-6-0006-2023-VII-Sec-7.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, forms new district Mauganj comprising of 3 Tehsils Mauganj, Naigarhi and Hanumana of district Rewa from the date of publication of this order in the official Gazette whose head-quarter would be at Mauganj. After the formation of District Mauganj, there would remain 9 Tehsils Huzur, Huzur Nagar, Jawa, Teonthar, Raipur Karchuliyani, Gurh, Sirmour, Semaria, Mangawan in the remaining district Rewa.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Addl. Secy.